

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालय/रा0पो0/रा0म0पो0 में समूह-'ग' के विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर सविदा के आधार पर नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन के फलस्वरूप विकलांगता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न करते हुए, उनके साथ दिनांक 31.07.2014 अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए संलग्न विहित प्रपत्र में एकरारनामा निष्पादित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह एकरारनामा संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं चयनित अभ्यर्थी के बीच निष्पादित किया जाएगा।

2. एकरारनामा निष्पादित करने के पूर्व संबंधित प्राचार्य अभ्यर्थियों के अंक-पत्रों, प्रमाण पत्रों इत्यादि की जाँच कर लेंगे और यह भी जाँच लेंगे कि एकरारनामा की तिथि को अभ्यर्थी की उम्र 64 वर्ष से अधिक नहीं हो।

निदेशक  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)विधि-01/2014 339 पटना/दिनांक : 6-2-2014  
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सहरसा एवं मुजफ्फरपुर/  
प्राचार्य, एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर/ प्राचार्य, रा0पो0, सहरसा एवं मुजफ्फरपुर/ श्री सीताराम प्रसाद यादव, पिता- श्री गोपाल प्रसाद यादव, ग्राम-पिपराही, पो0-भान, भाया-मिठाई, जिला-मधेपुरा/ श्री पंकज कुमार सिंह, पिता-श्री प्रहलाद प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0-श्यामपुर, जिला- गोपालगंज, पीन-841409/ श्री गौतम गौधी, पिता-श्री कैलाश प्रसाद यादव, ग्राम-लक्ष्मिनियों, पो0- जीवछपुर, थाना-गम्हरिया, जिला-मधेपुरा/ श्री राम कुमार, पिता- श्री श्याम शंकर ठाकुर, बैरिया बैकुन्तपुरी, नथुनी भगत उच्च विद्यालय के पूरब, पो0- एम.आई.टी., मुजफ्फरपुर-842003/ उप निदेशक(यो0)/दोनो प्रशाखा पदाधिकारी/बजट सहायक/योजना सहायक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित प्राचार्य इसे बेवसाईट से डाउनलोड कर व्यवहार में ला सकते हैं।

निदेशक  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)विधि-01/2014 339 पटना/दिनांक : 6-2-2014  
प्रतिलिपि : माननीय मंत्री/ प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

ज्ञापांक : वि.प्रा.(I)विधि-01/2014 339 पटना/दिनांक : 6-2-2014  
प्रतिलिपि : विभागीय आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निर्देशित है कि इस आदेश को अनुलग्नक सहित तुरन्त विभागीय बेवसाईट पर अपलोड कर देंगे।

निदेशक  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
बिहार, पटना

विकलांगता के आधार पर संविदा एकरारनामा हेतु चयनित  
अभ्यर्थियों की सूची

कर्मशाला अनुदेशक (पोलिटिकनिक संस्थान)


| क्रम सं० | अभ्यर्थी का नाम                                  | एकरारनामा करने हेतु संस्थान |
|----------|--|-----------------------------|
| 1        | श्री सीताराम प्रसाद <del>प्रसाद</del> (SCI 1729) | रा० पो० सहरसा               |
| 2        | श्री पंकज कुमार सिंह, (SCI 5812)                 | रा० पो० मुजफ्फरपुर          |

लिपिक (पोलिटिकनिक संस्थान)

| क्रम सं० | अभ्यर्थी का नाम             | एकरारनामा करने हेतु संस्थान |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1        | श्री गौतम गाँधी, (SCI 2817) | रा० पो० सहरसा               |

कर्मशाला अनुदेशक (अभियंत्रण महाविद्यालय)

| क्रम सं० | अभ्यर्थी का नाम            | एकरारनामा करने हेतु संस्थान |
|----------|----------------------------|-----------------------------|
| 1        | श्री राम कुमार, (SCI 5789) | एम.आई.टी.मुजफ्फरपुर         |

  
निदेशक  
विज्ञान एवं प्राथमिकी विभाग  
बिहार, मुटना

**बिहार सरकार**  
**विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग**  
**सविदा के आधार पर नियोजन हेतु एकरारनामा**

✓

(७३३१)

यह एकरारनामा प्राचार्य, ..... एव चयनित होने वाले श्री .....

के बीच निम्नलिखित शर्तों के साथ की जा रही है -

1. यह नियोजन केवल ..... (पद का नाम) के लिए किया जायेगा।
2. यह सविदा एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जायेगा।
3. सविदा की अवधि की समाप्ति पर ऐसा नियोजन स्वतः समाप्त समझा जायेगा। इस कार्य हेतु कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
4. सविदा के आधार पर नियोजित श्री ..... को रु० ..... (..... रुपये) एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।
5. इस तरह के नियोजित व्यक्ति को इस नियोजन के आधार पर सरकारी सेवकों को देय कोई अन्य सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।
6. इस नियोजन के आधार पर भविष्य में नियमित अस्थायी या स्थायी नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
7. सविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।
8. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
9. इस प्रकार का नियोजन सविदा अवधि (Contract Period) की समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों में से किसी एक के द्वारा एक माह की सूचना देकर या एक माह की सविदा राशि का एकमुश्त भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।
10. सविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपर्युक्त शर्तें मान्य होंगी। नियोजित व्यक्ति उपर्युक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

( ..... )

( ..... )

प्राचार्य का नाम :

नियोजित व्यक्ति

तिथि :

पदनाम :